128

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक– एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6036 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–12–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–1073/2016–17/अपील

.....

1– हिरिया पुत्री लछुआ काछी पत्नी उमरूआ
निवासी–ग्राम ललोनी
हाल निवासी गहरवार, तहसील व जिला–छतरपुर, म.प्र.

2– परमी पुत्री लछूआ काछी पत्नी मनमोहन काछी
निवासी–ग्राम ललोनी
हाल निवासी–भगवन्तपुरा तहसील व लिा–छतरपुर म.प्र.

3– गौरा (मृतक) वारिसान–
1. सन्तोष
2. धनीराम पुत्रगण गणेशा काछी
निवासीगण–गहरवार तहसील व जिला–छतरपुर म.प्र.
3. लाड़कुवर पुत्री गणेशा काछी
निवासी–ग्राम पहाड़गांव तहसील व जिला–छतरपुर, म.प.
4. विमला पुत्री गणेशा काछी
ग्राम–अचटट तहसील व जिला–छतरपुर, म.प्र.

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– भूरा
2– हरदयाल, पुत्रगण कमला कच्छी
3– राजू
4– खुमनी पुत्री लछुआ काछी
निवासी–सलोनी, तहसील व जिला–छतरपुर, म.प्र.
हाल निवासी–माधोपुर तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर, म.प्र.
5– लल्लाबाई पुत्री लछुआ पत्नी मुलू काछी
निवासी–ग्राम सलोनी तहसील व जिला–छतरपुर

———अनावेदकगण

.....

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुन्दरम श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1, 2 एवं 3,

.....

:: आ दे श ::

8/11/19

(आज दिनांक 08/01/2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ललौनी स्थित वादग्रस्त भूमि कुल किता 17 कुल रकबा 3.946 के मूल भूमिस्वामी मृतक लछुवा काछी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसे लछुआ द्वारा मृत्यु से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09–07–1981 के माध्यम से कुल किता 17 में से 14 का अनावेदक क्र. 1, 2, व 3 भूरा, हरदयाल एवं राजू को विक्रय कर दिया गया एवं 3 किता शेष रहे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 119 वर्ष 1981–82 में पारित आदेश दिनांक 10–09–1982 से सम्पूर्ण किता का अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश दिनांक 10–09–1982 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 03/अपील/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–07–2017 से यह निष्कर्ष निकाला है कि स्व0 लछुआ द्वारा सर्वे क्र. 119, 2520, एवं 2521 कुल किता 03 का विक्रय अनावेदक क्र. 1, 2, व 3 भूरा, हरदयाल एवं राजू को नहीं किया था। इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र. 119, 2520, एवं 2521 पर भी अनावेदकगण का नाम दर्ज है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये तहसीलदार छतरपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तत किया कि उचित कार्यवाही करते हुये शेष 03 किता पर स्व0 लछुआ के विधिक वारिसों की जॉच कर नामांतरण आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–07–2017 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त सागर ने प्र. क्र. 1073/2016–17/अपील में पारित दिनांक 07–12–2017 से द्वितीय अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये निरस्त किया । अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 07–12–2017 के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि किता 17 कुल रकबा 3.946 के पूर्व में निर्विवादित भूमिस्वामी लछुआ काछी थे। लछुआ काछी ने मृत्यु के पूर्व कुल किता 17 में से 14 का अनावेदक क्र. 1, 2, व 3 भूरा, हरदयाल एवं राजू को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया एवं 3 किता शेष रहे। अनावेदकगण ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर तहसीलदार छतरपुर के समक्ष नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने दिनांक 10–09–1982 से प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना ही 14 किता के स्थान पर सम्पूर्ण 17 किता का नामांतरण अनावेदकगण के पक्ष में कर दिया । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में स्वीकार किया गया नामांतरण त्रुटिकारित है। प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक लछुआ का नाम राजस्व अभिलेखों/प्रविष्टि में दर्ज रहा। स्व0 लछुआ ने 14 किता का विक्रय किया था, जो क्रमशः 1042, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536/2, 2537, 2543, एवं 2544 था एवं शेष 03 किता क्रमशः 119, 2520 व 2521 का मृतक लछुआ द्वारा विक्रय नहीं किया गया, फिर तहसीलदार छतरपुर द्वारा किस आधार पर सम्पूर्ण किता का नामांतरण आदेश पारित किया गया है । अनावेदकगण को शेष 03 किता पर कैसे अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि मृतक लछुआ द्वारा तो उक्त शेष किता का विक्रय ही नहीं किया गया था, इसका भी कोई निराकरण किसी भी निम्न अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह माना है कि तहसीलदार ने पंजी क्रमांक 119 में पारित आदेश दिनांक 10–09–1982 से मृतक लछुआ ने खसरा नं. 119, 2520, एवं 2521 का कोई विक्रय नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी वर्ष 1990–91 के खसरे नं. 119 में खसरा नं. 119, 2520 एवं 2521 भी अनावेदकगण के नाम पर दर्ज है, जो त्रुटिकारित है। इसके अतिरिक्त मृतक लछुआ द्वारा उक्त खसरा नम्बर 119, 2520 व 2521 का कोई विक्रय नहीं हुआ है। इसीकारण अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 29–07–2017 से अनावेदक क्रमांक 1, 2, व 3 भूरा, हरदयाल एवं राजू का नाम उक्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बरों पर से विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया।

3/4

4/ प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि शेष 03 किता अनावेदकगण को कैसे प्राप्त हुई । अनुविभागीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित

किया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात प्रकरण का निराकरण करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है? अपर आयुक्त ने प्रकरण में संलग्न राजीनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–07–2017 को निरस्त किया है किन्तु शेष 03 किता पर अनावेदकगण को कैसे अधिकार प्राप्त हुये, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित नहीं कहा जा सकता

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम शेष 03 किता अनावेदकगण को कैसे प्राप्त हुई का प्रमाणिकरण करें एवं सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत विधि अनुसार नामांतरण आदेश पारित करें।

6/ उभयपक्ष दिनांक 08–02–2019 को तहसील न्यायालय में उपस्थित होवे ।

4/4

08/01/2019

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,